जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-24.03.2025**

प्रेस नोट

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बहावडी के जंगल में युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 02 अभियुक्त गिरफ्तार एवं निशादेही पर मृतक की ईरिक्शा व आलाकत्ल बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 21.03.2025 को ग्राम बहावडी के जंगल में 01 अज्ञात युवक का शव प्राप्त हुआ था। शव की शिनाख्त मृतक सन्दीप कर्णवाल पुत्र श्री सुरेशचन्द्र कर्णवाल निवासी मौहल्ला दयानन्द नगर थाना कोतवाली शामली के रुप में हुयी थी। मृतक की पत्नी श्रीमती ममता कर्णवाल द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा टीमों का गठन करते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 23.03.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपरधियों की गिरफ्तारी एवं उपरोक्त घटना मे वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा संदीप कर्णवाल की हत्या का सफल अनावरण करते हुए घटना में लिप्त 02 अभियुक्तों 1.गौरव उर्फ लक्की पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौहल्ला दयानंदगनर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली 2.सुशील पुत्र श्रीचन्द निवासी ग्राम बहावडी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्तों की निशादेही पर मृतक सन्दीप कर्णवाल की ईरिक्शा व आलाकत्ल पेचकस भी बरामद हुआ है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

घटना का उद्देश्यः- घटना में गिरफ्तार अभियुक्तगण गौरव व सुशील ने सन्दीप की हत्या का जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि हम दोनों दोस्त हैं। हम दोनो को शराब पीने की बहुत बुरी लत है एक भी दिन शराब ना मिले तो मरने जैसी हालत हो जाती है। गौरव ने बताया कि मैं मेरे ही मौहल्ले के रहने वाले संदीप कर्णवाल को पहले से जानते थे हमने उसके साथ पहले कई बार शराब पी थी। संदीप शामली में ई रिक्शा चलाता था तो मैने और सुशील ने सोचा कि संदीप को बुलाकर उसकी ई रिक्शा छीन कर बेचे गये पैसौं से कुछ दिन शराब की व्यवस्था हो जायेगी। योजनानुसार गौरव ने अपने पिता के मोबाइल से संदीप को फोन कर बताया कि मै और सुशील दोनो शामली में हैं हमे बहावडी जाना है तेरा जो किराया बनेगा तुझे दे देंगे। कुछ देर बाद लगभग 3-4 बजे के लगभग वो आ गया। सन्दीप के आने पर हम तीनो पहले कुडाना गये और वहां से ठेके से शराब लेकर वहीं शराब पी, उसके बाद बहावडी के जंगल में पहुंचे और वहां भी शराब पी। अंधेरा होने पर एक टयूबवैल के पास हमने संदीप के साथ मारपीट कर ई-रिक्शा छीनने की कोशिश की तो वो शोर-शराबा करने लगा तो मैने मेरे पास लिये पेंचकस से उसकी छाती में वार किया और फिर हम दोनो ने संदीप के गले में पडी चादर से ही संदीप का गला घोंट दिया। संदीप ने विरोध किया जिसमें चादर फट गयी थी। फिर हमने उसकी शर्ट से उसके गले में फंदा लगाकर उसका गला दबाकर सन्दीप की हत्या कर उसका फोन छीनकर लाश व चादर को वहीं खेत में फेक दिया तथा ई रिक्शा को कैराना रोड पर फैक्ट्री एरिया में छिपाकर खडा कर दिया। अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल पेचकस व ईरिक्शा को बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तगण द्वारा शराब की आपूर्ति करने के उद्देश्य से ईरिक्शा छीनने की घटना की योजना बनाना व विफल होने पर सन्दीप की हत्या की गयी है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.गौरव उर्फ लक्की पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौहल्ला दयानंदगनर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.सुशील पुत्र श्रीचन्द निवासी ग्राम बहावडी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.मृतक की ईरिक्शा।

2.आलाक्तल पेचकस।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री समयपाल अत्री प्रभारी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.उ0नि0 राजकमल थाना थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.है0का0 नवाब सिह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

आमजनमानस के खोये हुए 21 अदद मोबाइल फोन (कुल अनुमानित कीमत लगभग 05 लाख रुपये) को बरामद कर उनके स्वामियों को किया गया सुपुर्द।

पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम द्वारा आमजनमानस के खोये हुए मोबाइलों के संबंध में पुलिस कार्यालय/समस्त थानों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर सर्विलांस सेल जनपद शामली व थानों पर प्रचलित CEIR पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में सर्विलांस सेल/CEIR पोर्टल के माध्यम से 21 अदद विभिन्न कम्पनियों के मल्टी मीडिया एन्ड्राएड मोबाइल हैन्डसेटों को बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई। बरामद किए गए मोबाइल सेटों की कुल क़ीमत लगभग 05 लाख रुपये है। बरामद मोबाइल सेटों को पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा आज दिनांक 24.03.2025 को पुलिस लाइन के सभागार में उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया। खोये हुए मोबाइल को वापस पाकर मोबाइल स्वामियों द्वारा पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया एवम् इस सराहनीय कार्य की भूरी-भूरी प्रशंसा की गई।

मोबाइल फोन बरामद करने वाली सर्विलांस टीम-

1.उ0नि0 श्री फतेह सिंह

2.है0का0 मोहित कुमार

3.है0का0 दीपक कुमार

4.का0 मनीष कुमार

5.का0 मोहित सांगवान

6.का0 सुशील बुटार

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि थाना गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 21.03.2025 को थाना गढीपुख्ता पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 24.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी भवन के कुशल नेतृत्व में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मांगा पुत्र बिनारसी निवासी मौंहल्ला सुभाषपुरी कस्बा व थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री प्रतापदत्त शर्मा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री यशपाल सिंह थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

3.का0 सचिन कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी मोटर साइकिल बरामदः-

दिनांक 23.03.2025 की रात्रि को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर शामली के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को मील रोड़ से लीलोन जाने वाले रास्ते से चोरी की मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त द्वारा मोटर साइकिल को जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से चोरी करना बताया गया है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.विशाल पुत्र राजेन्द्रपाल निवासी ग्राम जगनपुर थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर रंग काला, रजि0 नं0 HR02AJ1222

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 सतीश त्यागी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.है0का0 रॉबिन त्यागी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.है0का0 विजय थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ घर में घुसकर, जान से मारने की धमकी देने व दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 20.12.2024 को थाना गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग के साथ घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना गढीपुख्ता पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 24.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने व दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा अन्य शेष अभियुक्त की गिऱफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अशमीर पुत्र हारुन निवासी ग्राम पलठेढी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री गौरव कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

2.का0 तरुण कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 12 ग्राम स्मैक बरामदः-</u>

आज दिनांक 24.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 12 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.साजिद उर्फ साहिल पुत्र नसीर निवासी ग्राम औदरी थाना झिझांना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 12 ग्राम स्मैक।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री सतीश सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 अनीश खान थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.का0 शान्तनु यादव थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.का0 सुमित कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग, मारपीट करने के मामले में वांछित 01 अन्य अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 11.01.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में दो पक्षो में एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से फायरिंग व मारपीट की घटना हुई थी। घटना के सम्बन्ध में इमरान पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली की तहरीर के आधार पर 20 व्यक्ति नामजद व 08-10 व्यक्ति नाम पता अज्ञात तथा तासमीन पुत्र इकराम निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली की तहरीर के आधार पर 23 व्यक्ति नामजद व 08-10 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये तथा घटना में घायल 04 व्यक्तियों को उपचार हेतु भेजा गया था। उपरोक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा थाना कैराना पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं नामित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रकरण में 30 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

इसी क्रम में आज दिनांक 24.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग मारपीट करने के मामले में वांछित 01 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुयी हैं शीघ्र अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.इरफान पुत्र वाजिद अली निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 यशपाल सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 प्रमेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.है0का0 नितिन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चरस बरामदः-

दिनांक 23.03.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 195 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः

1.सागर उर्फ छोटू पुत्र राकेश निवासी ग्राम पाउटीकलां थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 195 ग्राम चरस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 यतेन्द्र भारद्वाज थाना कैराना जनपद शामली।

3.है0का0 अनुज कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 04 अलग-अलग मामलों में 04 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 12,700/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-</u>

1.-वर्ष 2001 में अभियुक्त इरशाद उर्फ काला पुत्र शलीम नि0 बेगमपुरा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 316/2001 धारा 292/293 भादवि0 व 52ए 63/68 कॉपीराईट एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 24.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 10,000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2021 में अभियुक्त ओरंगजेब पुत्र इस्तकार नि0 मौ0 रहमतनगर कोतवाली मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 05/2021 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 24.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 03 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

3.-वर्ष 2020 में अभियुक्त विक्रम पुत्र निरंजन नि0 खानपुर थाना झिंझाना शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना गढीपुख्ता पर मु0अ0सं0 48/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 24.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा व 25,00/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा प्रावधान किया गया है।

4. वर्ष 1998 में अभियुक्त राजीव पुत्र धर्मपाल नि0 कैराना शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 299/1998 धारा 171 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 24.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कोर्ट कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 200/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते गैंगस्टर के मामले में अभियुक्त को मा0 न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई गई 05 वर्ष के कारावास की सजा एवं 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।</u>

वर्ष 2001 में अभियुक्त रियाजुद्दीन पुत्र फकरुद्दीन निवासी ग्राम करमु खेड़ी थाना कोतवाली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 311/2001 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में कोतवाली शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में आज दिनांक 24.03.2025 को माननीय न्यायालय ADJ/FTC कैराना, शामली द्वारा गैंगस्टर के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 05 वर्ष का कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1. रियाजुद्दीन पुत्र फकरुद्दीन निवासी ग्राम करमु खेड़ी थाना कोतवाली जनपद शामली।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>